



वायस्य काम
18-9-18/18
प्राथमिक 189

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक :/2018
प्रस्तुति दिनांक : 13/09/2018

121

माननीय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग

निगरानी - 5740/2018/इंदौर/भू-रक्ष

इन्दौर (म.प्र.)

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री श्यामल नाईक
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 13-09-18
को प्रस्तुत।

राजेश पिता गोपीकिशन गुप्ता,
निवासी-50, भगवानदीन नगर, इन्दौर (म.प्र.)

प्रार्थी

विरुद्ध

955
13-09-2018

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

श्रीमती कमलाबाई बेवा मदनलाल,
निवासी-ग्राम लिम्बोदी तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) — **प्रतिप्रार्थी**

राजस्व पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

प्रार्थी, श्रीमान् तहसीलदार तहसील जूनी इन्दौर (लिम्बोदी क्षेत्र), इन्दौर (म.प्र.) द्वारा सीमांकन आदेश क्रमांक 74/अ-12/2017-18 में दिनांक 25/5/18 को राजस्व निरीक्षक द्वारा की गयी सीमांकन कार्यवाही जिसके द्वारा प्रार्थी की भूमि के संबंध में असत्य प्रतिवेदन, फील्ड बुक एवं पंचनामा प्रस्तुत किया गया, को मान्य करने से दुःखी एवं असंतुष्ट होकर यह राजस्व पुनरीक्षण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर सादर प्रस्तुत करता है कि :-

(Handwritten mark)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिप्रेत आदि के हस्ताक्षर
19-9-18	<p>आवेदन व उन्हे अक्रि सूचना उपरोक्त अनुपारि-मत। उन्हे सज्ज-सज्ज पर लीन वार पुकार सज्जवाई गई। परन्तु कोई उपो नहीं। प्रकरण आवेदन व उन्हे अक्रि व अ अनुपारि-मत के कारण प्रकरण अदम पेशी के खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">अदयक्ष</p>	

अदयक्ष